

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 5

[नियम 9 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

..... \*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती-

रिटर्निंग आफिसर,

मैं ..... जो उपरिवर्णित निर्वाचन में '[विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी]' हूँ, एतद्वारा सूचना देता हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूँ।

स्थान .....

तारीख .....

'[विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी]' के हस्ताक्षर

यह सूचना ..... (नाम) द्वारा, जो ..... है, .....(तारीख) को ..... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिए रसीद

(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

..... की, जो कि ..... \*के लिए निर्वाचन में '[विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी]' है, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना ..... \*द्वारा ..... (तारीख) को ..... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई।

रिटर्निंग आफिसर

\*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए-

- (1) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा।
- (2) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा।
- (3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (4) ..... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।
- (5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद्।
- (6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

\*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए-

- (1) अभ्यर्थी।
- (2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इस परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।
- (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है।